मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग

Industrial Training Institute

प्रशिक्षण विवरणिका

पुलिस आई.टी.आई. भोपाल एवं इन्दौर में प्रवेश के लिए

पुलिस आई.टी.आई.

पुलिस विभाग (कल्याण शाखा) द्वारा संचालित

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश, भोपाल

Industrial Training Institute

प्रशिक्षण विवरणिका

पुलिस आई.टी.आई. भोपाल एवं इन्दौर में प्रवेश के लिए

प्रशिक्षण–विवरणिका

मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिसकर्मियों के पुत्र–पुत्रियों को पुलिस आई.टी.आई. के विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश हेतु विवरण पुस्तिका

स्थान

पुलिस आई.टी.आई., जेल रोड, जहांगीराबाद, भोपाल म.प्र. 462008
e-mail adress–policeitibhopal@yahoo.in

स्थान

पुलिस आई.टी.आई., व्ही.आई.पी. रोड, किला मैदान, इन्दौर म.प्र. 452006
e-mail adress–indorepoliceiti@gmail.com

संचालनालय

कौशल विकास संचालनालय, मध्यप्रदेश
सांई मंदिर के पास नर्मदा रोड, जबलपुर म.प्र. 482008
एवं गैस राहत आई.टी.आई. परिसर गोविन्दपुरा भोपाल म.प्र. 462023

आवश्यक निर्देश :

1. आवेदक कृपया प्रवेश के लिए आवेदन करने से पूर्व प्रशिक्षण विवरणिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।
2. प्रशिक्षण विवरणिका में यदि आवश्यक हुआ तो बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन/नवीनीकरण किया जा सकता है।
3. तकनीकी खराबी के कारण गलत चयन होने पर उसे रद्द करने तथा सुधारात्मक उपाय करने का अधिकार चयन समिति को होगा।

समस्या के निराकरण हेतु :

प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु प्रवेश अधिकारी या अधीक्षक, पुलिस आई.टी.आई. भोपाल से व्यक्तिगत या फोन नं0 0755–2443517, +919425018643 पर तथा इंदौर हेतु मोबाइल नं0 9907486800 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

:: संदेश ::

म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग द्वारा भोपाल एवं इन्दौर में पुलिस आई.टी.आई. पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के पुत्र–पुत्रियों को विभिन्न ट्रेडों (व्यवसायों) में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से सत्र 1987–88 से प्रारम्भ की गई है।

संस्थान में प्रवेश हेतु पूर्व में बने नियमों को संशोधित एवं शिथिल करते हुए प्रवेश–प्रक्रिया को आसान किया गया है, ताकि पुलिस परिवार के अलावा स्थान (सीटें) रिक्त रहने पर उनके प्रथम तथा द्वितीय रक्त संबंधियों के पुत्र–पुत्रियों को प्रवेश देकर लाभान्वित किया जा सके।

पुलिस विभाग के 'शहीदो' का दर्जा प्राप्त कर चुके अधिकारियों/कर्मचारियों के पुत्र/ पुत्रियों को और उन पर आश्रित विवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को प्रवेश तथा छात्रवृति देने का प्रावधान किया गया है । होमगार्ड (पुलिस) के अतिरिक्त अन्य वर्दीधारी जैसे– जिला जेल आदि के अधिकारी/कर्मचारियों के पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर प्रवेश देने का भी प्रावधान किया गया है। भविष्य में अतिशीघ्र नये ट्रेड (व्यवसाय) प्रारंभ करने की योजना पर कार्यवाही जारी है ताकि उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को पुलिस की विभिन्न इकाइयों तथा शासकीय/अशासकीय विभागों में नौकरी प्राप्त करने में आसानी हो सके।

वर्तमान में पुराने भवन के समीप ही नवीन प्रशासनिक भवन, छात्राओं हेतु छात्रावास एवं कैम्पस में ही स्टॉफ क्वाटर्स का निर्माण किया गया है।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह प्रशिक्षण विवरणिका पुलिस परिवार के पुत्र–पुत्रियों को पुलिस आई.टी.आई. में प्रवेश लेने में मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

(एस. एम. अफ़ज़ल)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,
(कल्याण/लेखा)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल
मध्यप्रदेश

प्रस्तावना

पुलिस आईटीआई, जेल रोड, जहांगीराबाद भोपाल की स्थापना अगस्त, 1987 में की गई जिसका उद्‌घाटन भारत के तत्कालीन उप राष्ट्रपति माननीय डॉ. शंकर दयाल शर्मा एवं राज्यपाल प्रो. श्री के.एम. चाण्डी के कर कमलों द्वारा किया गया। पुलिस आईटीआई. वीआईपी रोड, इंदौर की स्थापना अगस्त, 1989 में की गई।

हमारा दर्शन (OUR VISION)

पुलिस आई.टी.आई., खोलने का उद्देश्य म.प्र. पुलिस के सुदूर अंचलों में तैनात पुलिसकर्मियों के पुत्र–पुत्रियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित कर रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान कर कुशल कारीगर बनाना है।

पुलिस आईटीआई का प्रशासनिक नियत्रंण अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कल्याण एवं लेखा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश के अधीन है। यहां पर संचालनालय, कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित आईटीआई के लिए बनाए गए पाठ्‌यक्रम द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। परीक्षा में सफल होने पर राष्ट्रीय व राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते हैं।

पुलिस आई.टी.आई. में प्रशिक्षण हेतु पात्रता

1.	मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में सेवारत/सेवानिवृत्त/स्वर्गीय/शहीद पुलिसकर्मियों के पुत्र/पुत्री।
2.	पुलिस कर्मचारी पर आश्रित विवाहिता/तलाकशुदा/विधवा पुत्री।
3.	मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में सेवारत/सेवानिव्त पुलिसकर्मियों के रिश्तेदार जैसे प्रथम तथा द्वितीय रक्त संबंधी को स्थान (सीटें) रिक्त रहनेपर।
4	नगर सेना (होमगार्ड) में कार्यरत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को स्थान (सीटें) रिक्त रहने पर।
5	अन्य वर्दीधारी जैसे जेल आदि, में कार्यरत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को स्थान (सीटें) रिक्त रहने पर। ।
6.	सैनिक/भूतपूर्व सैनिक (उपलब्ध न होने पर) उनके पुत्र/पुत्री को आरक्षण अनुसार।
7.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री/नाती/नातिन।

पुलिस आई.टी.आई. के प्रशासनिक अधिकारी

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कल्याण एवं लेखा)
पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

पुलिस आई.टी.आई. के नियंत्रणकर्ता अधिकारी

1— सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण) पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश, भोपाल	2— उप पुलिस अधीक्षक (कल्याण) पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रवेश हेतु गठित चयन समिति

क्र	पदेन	अध्यक्ष / सदस्य
1	सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल	अध्यक्ष
2	उप पुलिस अधीक्षक (कल्याण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल	सदस्य
3	अधीक्षक,पुलिस आई0टी0आई0 भोपाल।	सदस्य
4	प्रवेश अधिकारी, पुलिस आई0टी0आई0 भोपाल	सदस्य

आयु—सीमा

प्रवेश के समय आयु—सीमा सभी व्यवसायों के उम्मीदवारों के लिये 14 वर्ष या इससे अधिक हो।

समय सारणी एवं कार्य दिवस

पाली — प्रातःकाल 9.30 से दोपहर 12.00 तक सैद्धांतिक कक्षायें (दोपहर 12.00 से दोपहर 12.30 तक भोजन अवकाश) दोपहर 12.30 से सायं 17.30 तक प्रायोगिक कार्य।

कार्य दिवस — सोमवार से शनिवार (दूसरे एवं तीसरे शनिवार को छोड़कर) विशेष परिस्थितियों को छोड़कर संस्था हर रविवार और राजपत्रित छुट्टियों में बंद रहेगी।

सेमेस्टर अवधि

प्रथम सेमेस्टर	01 अगस्त से 31 जनवरी तक।
द्वितीय सेमेस्टर	01 फरवरी से 31 जुलाई तक।

नोट — सत्र 2018—19 से सेमेस्टर सिस्टम बंद कर दिया गया है।

व्यवसाय, योग्यता एवं अन्य जानकारी

पुलिस आई.टी.आई. भोपाल व इन्दौर में निम्नलिखित व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है :–

1. पुलिस आई.टी.आई. भोपाल **योग्यता 10+2 से दसवीं उत्तीर्ण**

क्रमांक	व्यवसाय	यूनिट	स्थान	मान्यता
1	डीजल मैकेनिक	01	21 सीट	एनसीव्हीटी
2	वेल्डर (इलेक्ट्रिक एंड गैस)	01	21 सीट	–''–
3	स्टेनोग्राफर एवं सेक्रेट्रियल असिस्टेन्ट(हिन्दी)	02	52 सीट	–''–
4	स्वीइंग टेक्नोलॉजी	01	21 सीट	–''–
5	इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक (द्विवर्षीय)	01	26 सीट	एससीव्हीटी
6	मैकेनिक मोटर व्हीकल (द्विवर्षीय)	01	21 सीट	–''–

2. पुलिस आई.टी.आई. इन्दौर **योग्यता 10+2 से दसवीं उत्तीर्ण**

क्रमांक	व्यवसाय	यूनिट	स्थान	मान्यता
1	इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक (द्विवर्षीय)	02	52 सीट	एनसीव्हीटी
2	कोपा(कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट)	01	26 सीट	एससीव्हीटी

नये व्यवसाय खोले जाने की योजना – **योग्यता 10+2 से दसवीं उत्तीर्ण**

क्र0	व्यवसाय	यूनिट	स्थान	संस्था
1	इलेक्ट्रीशियन (दो यूनिट) 21+21 सीट (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) एनसीव्हीटी	02	42 सीट	पुलिस आई0टी0आई0 भोपाल एवं इन्दौर
2	प्लम्बर (दो यूनिट) 21+21सीट 02 सेमेस्टर्स (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) एनसीव्हीटी	02	42 सीट	पुलिस आई0टी0आई0 भोपाल एवं इन्दौर
3	फैशन डिजाइनिंग एण्ड टेक्नोलाजी (दो यूनिट) 21+21सीट 02 सेमेस्टर्स (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) एनसीव्हीटी	02	42 सीट	पुलिस आई0टी0आई0 भोपाल
4	कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असि. (कोपा) (दो यूनिट) 26+26सीट 02 सेमेस्टर एनसीव्हीटी (एक वर्षीय पाठ्यक्रम)	02	52 सीट	पुलिस आई0टी0आई0 इन्दौर

नोट – सत्र 2018–19 से सेमेस्टर सिस्टम बंद कर दिया गया है। 10वीं उत्तीर्ण छात्रों को द्वि–वर्षीय कोर्स करने पर बोर्ड द्वारा बारहवी उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र प्रदाय किया जाएगा। इसके लिए उन्हें दो विषयों की परीक्षा बोर्ड द्वारा देनी होगी।

ऑनलाईन पंजीकरण

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाते समय ध्यान देने योग्य बातें :–

1. पुलिस आई.टी.आई. में प्रवेश हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के लिए जून माह के अंतिम सप्ताह में विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी पंजीकरण हेतु अपने स्वयं के अथवा अन्य किसी इन्टरनेट का उपयोग कर सकते हैं अथवा एमपी ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क सेन्टर पर जाकर आई.टी.आई. की वेबसाइट iti.mponline.gov.in पर पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करा सकते हैं।
2. रजिस्ट्रेशन करवाते समय अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, इत्यादि दसवीं की अंक सूची अनुसार होना चाहिये स्पेलिंग गलत होने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
3. रजिस्ट्रेशन करवाते समय अंक सूची में यदि पिता का नाम लिखा है तो पति का नाम न लिखें। इसके लिए बोर्ड में शपथ पत्र देकर बदलाव करवाने की कार्यवाही करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करवाएं।
4. रजिस्ट्रेशन करवाते समय फार्म में ''क्या आप पुलिस आई.टी.आई. में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं ? कॉलम में हॉ लिखें। कॉलम में (हां) लिखने पर ही आपको पुलिस आई.टी.आई. भोपाल / इन्दौर में प्रवेश दिया जावेगा। यदि ''नही'' लिखा गया होगा या फिर कॉलम रिक्त होने पर फार्म स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. प्रवेश की सूचना अभ्यर्थी को उसके द्वारा दिये गये जीमेल अथवा मोबाईल नं. पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जावेगी। अतः जीमेल एवं मोबाईल नं. रजिस्ट्रेशन करवाते समय सही–सही लिखवाएं।
6. रजिस्ट्रेशन करवाने की तिथि के बढ़ने की सूचना संबंधी जानकारी अपने पास के अधिकृत कियोस्क सेन्टर पर प्राप्त कर सकते हैं।
7. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के प्रिन्ट आउट में आधार कार्ड नं, मोबाइल नं, के बीच के कुछ अंक अदृश्य हो जाते है। अतः संस्था में फार्म जमा करते समय इन्हे साफ–सुथरी हस्तलिपि में लिखें।

च्वाइस फिलिंग :–

1. अभ्यर्थी को ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के उपरान्त प्रिन्ट आउट की एक प्रति आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से इच्छित व्यवसाय का नाम लिखकर कार्यालय पुलिस आई.टी.आई., जेल रोड जहॉंगीराबाद भोपाल तथा इन्दौर के इच्छुक अभ्यर्थी पुलिस आई.टी.आई., वीआईपी रोड, इन्दौर में कार्यालयीन समय में जमा करानी होगी।
2. अभ्यर्थी संस्था में फार्म जमा करते ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के समय दिया गया पासवर्ड अवश्य लिखें।
3. भोपाल से बाहर के अभ्यर्थी अपनी हार्ड कॉपी दस्तावेज संलग्न कर पासवर्ड तथा इच्छित व्यवसाय का नाम लिखकर डाक द्वारा निश्चित तिथि से पूर्व संस्था के पते पर भेज सकते हैं।
4. च्वॉइस फिलिंग हेतु व्यवसाय की जानकारी तथा पुलिस प्रमाण–पत्र का प्रोफार्मा, मध्यप्रदेश पुलिस, की वेवसाइट mppolice.gov.in EMPOLYEES CORNER पर WELFARE ACTIVITIES पर जाकर Police I.T.I. Prospectus को क्लिक करने पर प्राप्त हो सकेगी।
5. यदि आप एक से अधिक व्यवसाय में प्रवेश के लिए आवेदन करते है तो प्रत्येक व्यवसाय के लिए अलग– अलग सेट बनाकर संस्था के संबंधित व्यवसाय प्रभारी के पास फार्म जमा करें।

आवश्यक प्रमाण पत्रों की सूची

रजिस्ट्रेशन की हार्ड–कापी के साथ (जो लागू हो) प्रमाण–पत्र की सत्यप्रति लगावें प्रवेश के समय उन्हीं प्रमाण–पत्रों के मूल अभिलेख जांच के लिये लेकर संस्था में उपस्थित हों। इनके अभाव में प्रवेश दिया जाना संभव नहीं होगा।

क्र.	प्रमाण – पत्र	रिमार्क
1	व्यवसाय के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 10+2 की अंकसूची/अंकसूचियां	
2	आधार कार्ड	
3	म0प्र0 पुलिसकर्मी के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण–पत्र	
4	म0प्र0 पुलिसकर्मी के रक्त संबंधी होने का प्रमाण–पत्र	
5	म0प्र0 नगर सेना (होमगार्ड) के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण–पत्र	
6	म0प्र0 पुलिसकर्मी (सेवानिवृत्त) के पुत्र/पुत्री होने पर विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र	
7	म0प्र0 पुलिसकर्मी (शहीद/ स्वर्गवासी) के पुत्र/पुत्री होने पर विभाग द्वारा दिया गया का प्रमाण–पत्र।	
8	पालक के पुलिसकर्मी होने पर रक्त–संबंधी होने का शपथ–पत्र।	
9	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया हुआ।	
10	अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया।	
11	फिजिकली हैण्डीकैप्ड (अपंग) आवदेको ं को अ पंगता प्रमाण–पत्र पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिला मेडिकल अथवा अस्थि रोग विशेषज्ञ द्वारा दिया हुआ।	
12	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनके पुत्र/पुत्रियां, पौत्र/पौत्री, नाती/नातिन से संबंधित प्रमाण पत्र जो जिलाध्यक्ष (कलेक्टर) द्वारा प्रदाय किया गया हो। इस नियम के प्रयोजन के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्ट्रेट में रखी हुई सूची में पंजीकृत हो।	
13	सैनिक/ भूतपूर्व सैनिक/अ र्द्ध–सैनिक बल अथवा उस पर आश्रित के प्रकरण में जिला सैनिक बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। कार्यरत सैनिक अपने यूनिट के आफीसर कमांडिंग का प्रमाण पत्र लाएं	
14	अधीनस्थ विभागीय कर्मचारी/अधिक ारी के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण– पत्र कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी किया गया हो ।	
15	मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण–पत्र।	
16	अंतिम शैक्षणिक संस्था का स्थानांतरण प्रमाण– पत्र (टी0सी0)।	
17	पढ़ाई में गैप होने पर बीच के गैप का शपथ–पत्र।	
18	पासपोर्ट साइज के तीन फोटोग्राफ ।	
19	प्रशिक्षण शुल्क, काशनमनी, परीक्षा–शुल्क छात्रावास शुल्क।	
20	म0 प्र0 पुलिस का परिचय पत्र ।	

प्रवेश प्रक्रिया

1. चयन समिति द्वारा व्यवसायवार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट सूची तथा आरक्षण अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।
2. सर्वप्रथम म.प्र. पुलिस में कार्यरत/सेवानिवृत्त/स्वर्गीय पुलिसकर्मियों के पुत्र–पुत्रियों को प्रवेश दिया जावेगा।
3. दो या दो से अधिक उम्मीद्‌वारों के अंकों की प्रतिशतता समान होने पर अधिक आयु के उम्मीद्‌वार को अधिमान्य दिया जाएगा।
4. भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों को स्थान रिक्त होने पर नियमानुसार अंत में प्रवेश दिया जाएगा।
5. प्रवेश की सूचना अभ्यर्थी को उसके द्वारा दिये गये जी–मेल अथवा मोबाइल नं. पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल बंद होने/नेट बंद रखने पर सूचना प्राप्त न होने की दशा में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. आवेदकों को प्रवेश के लिए एक निश्चित तिथि निर्धारित की जाएगी, जिसमें उन्हे प्रवेश लेना अनिवार्य है । विशेष परिस्थितियों में दूसरे दिन सांय 4.00 बजे तक प्रतीक्षा की जाएगी। उपस्थित न होने पर प्रतीक्षारत सूची के अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जावेगा।
7. अभ्यर्थी को प्रवेश के समय संलग्न दस्तावेजों के प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा।
8. प्रवेश के समय टी. सी., पुलिस प्रमाण पत्र, गैप का शपथ पत्र इत्यादि की मूलप्रति जमा की जाएगी। टी.सी. के अभाव में 10वीं की मूल अंक सूची जमा करना होगा।
9. स्कूल से टी. सी. प्राप्त न होने की दशा में 7 दिन का समय दिया जावेगा। दिये गये समय पर टी. सी. जमा न करने पर दूसरे प्रतीक्षारत अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जावेगा।
10. प्रवेश के समय तीन पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एवं समस्त शुल्क, जमानत राशि, इत्यादि संस्था की लेखा शाखा में जमा कराने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।
11. एक व्यवसाय में प्रवेश लेने के बाद दूसरे व्यवसाय की चयन सूची में नाम आने पर स्थानांतरण नहीं किया जावेगा। अतएव आवेदक तथा उनके पालक इस हेतु संस्था के प्रशिक्षण स्टाफ को बाध्य नहीं करेंगे।
12. प्रवेश निरस्त कराने पर जमा की गई राशि वापस नहीं की जावेगी। विशेष परिस्थितियों में फीस वापसी पर उच्च स्तर पर विचार किया जा सकता है।
13. प्रवेश लेने के पश्चात् अवकाश बिना आवेदन दिये 10 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर यह मान लिया जावेगा कि आपकी रुचि प्रशिक्षण में नहीं है या आप प्रशिक्षण प्राप्त करने में असमर्थ हैं। अतः आपका प्रवेश निरस्त कर जमा की गई राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा दूसरे प्रतीक्षारत अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जावेगा। यदि किसी उम्मीद्‌वार का चयन दूसरी संस्था/कॉलेज में हो गया है तो वह पुलिस आई.टी.आई. में तत्काल सूचना दे ताकि दूसरे प्रतीक्षारत अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सके।
14. अन्य राज्य में कार्यरत पुलिसकर्मी के पुत्र/पुत्री अथवा उ.प्र. की अंकसूची, या मूल निवासी प्रमाण–पत्र होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि म.प्र. के पुलिसकर्मी को किसी अन्य राज्य में ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है तो उनके पुत्र/पुत्री को प्रवेश दिया जावेगा।
15. निर्धारित अंतिम–तिथि के पश्चात् यदि कोई स्थान रिक्त रहता है तो उसे नहीं भरा जा सकेगा और वर्ष के अन्त तक रिक्त ही रहेगा।

प्रवेश के नवीन संशोधित नियम

1. स्वर्गीय पुलिसकर्मियों के पुत्र–पुत्रियों के प्रवेश हेतु 04 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं इसमें प्रवेश प्राथमिकता के आधार पर निम्नानुसार दिया जावेगा :–

   अ. सर्वप्रथम शहीद हुए पुलिसकर्मियों के पुत्र / पुत्रियों को,
   ब. तदोपरान्त सेवाकाल में गंभीर बीमारी / दुर्घटना से मृत्यु प्राप्त पुलिसकर्मियों के पुत्र / पुत्रियों को,
   स. अंत में सेवानिवृत्ति उपरान्त सामान्य रूप से स्वर्गवासी हुए पुलिसकर्मियों के पुत्र / पुत्रियों को।

2. शहीद हुए पुलिसकर्मियों के पुत्र / पुत्रियों को प्रतिमाह मिलने वाली छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

नोट :– ऐसे स्वर्गीय पुलिसकर्मी के पुत्र / पुत्री जो स्वयं की योग्यता के आधार पर टॉप टेन की मेरिट सूची में चयनित हो जायेंगे उनकी गणना सामान्य सेवारत पुलिसकर्मी के पुत्र–पुत्रियों की श्रेणी में की जावेगी।

3. म.प्र. पुलिस में कार्यरत पुलिसकर्मियों के पुत्र–पुत्रियों को प्रवेश देने के पश्चात् रक्त संबंधियों को निम्नानुसार प्राथमिकताक्रम से प्रवेश दिया जाएगा :–

   (अ) प्रथम प्राथमिकता क्रमशः पुलिसकर्मी के भाई–बहन, पत्नी–पति, भतीजा–भतीजी, पुत्र–वधु, पोता–पोती
   (ब) द्वितीय प्राथमिकता क्रमशः साला–साली, भांजा–भांजी, नाती–नातिन, बहू–दामाद, इत्यादि।

4. जब उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तब रिक्त स्थान की पूर्ति सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के रक्त संबंधियों से उपरोक्तानुसार की जावेगी।

5. ऐसे आवेदक जिन्होने पूर्व में पुलिस आई0टी0आई0 से प्रशिक्षण प्राप्त किया है या बीच में प्रशिक्षण छोड़ दिया है। पालक तथा आफ लाइन के अभ्यर्थियो को प्रवेश देने के बाद स्थान रिक्त होने पर उनके पिछले रिकार्ड को देखते हुये अध्यक्ष, चयन समिति के निर्णय उपरान्त ही दुबारा प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश उपरान्त छात्रवृत्ति की पात्रता केवल पुलिसकर्मी के पुत्र / पुत्री को होगी।

नोट – **दुबारा प्रवेश सुविधा का लाभ भूतपूर्व को सिर्फ एक बार दिया जाएगा अपवाद स्वरूप डीजीपी महोदय इस संबंध में कोई भी निर्णय ले सकेंगे।**

6. पुलिसकर्मी पर आश्रित शादीशुदा, तलाकशुदा एवं विधवा पुत्री को भी पुलिस आईटीआई में प्रवेश दिया जावेगा। साथ ही उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की जावेगी।

7. होमगार्ड (नगर सैनिक) में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के पुत्र / पुत्रियों को दिया जाने वाला 05 प्रतिशत आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। अतः व्यवसाय में स्थान (सीट) रिक्त होने पर अंत में होमगार्ड तथा अन्य वर्दीधारी, जैसे – जिला जेल आदि के कर्मचारियों के पुत्र–पुत्रियों को प्रवेश दिया जावेगा। **नोटशीट–पेज क्रमांक 229–231 दिनांक 07.07.2018**

प्रवेश में आरक्षण का प्रतिशत

क्र0	आरक्षित श्रेणी	आरक्षण/कोटा
	वर्टिकल आरक्षण	
1	पुलिसकर्मी की पुत्री हेतु महिला आरक्षण (वर्टीकल व होरिजेण्टल)	30 प्रतिशत
2	अनुसूचित जाति पुलिसकर्मी के पुत्र/पुत्रियों हेतु	15 प्रतिशत
3	अनुसूचित जनजाति पुलिसकर्मी के पुत्र/पुत्रियों हेतु	21 प्रतिशत
4	अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पुलिसकर्मी के पुत्र/पुत्रियों हेतु	14 प्रतिशत
	हॉरिजेण्टल आरक्षण	
5	स्वर्गीय पुलिसकर्मी के पुत्र/पुत्रियों हेतु	04 प्रतिशत
6	जो (अस्थिबाधित, श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित हैं प्रत्येक (2–2 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।	06 प्रतिशत
7	भूतपूर्व सैनिकों व उनके पुत्र/पुत्रियों हेतु	03 प्रतिशत
8	स्व0सं0से0 के पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री/नाती/नातिन हेतु	03 प्रतिशत
9	पुलिस आईटीआई भोपाल में कार्यरत स्टॉफ के पुत्र/पुत्रियों हेतु	05 प्रतिशत

(नोट–प्रवेश के समय आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)

आरक्षण वर्ग अनुसार (वर्टिकल) :–

आरक्षित श्रेणी के लिये व्यवसाय में प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा :–

1. अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारो से भरे जावेंगे।

2. इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

3. जब इन तीनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तब रिक्त स्थान सामान्य श्रेणी से भरे जावेंगे।

आरक्षण उप वर्ग अनुसार (हॉरिजोन्टल) –

1. महिलाओं के लिए –मध्यप्रदेश की महिला नीति के अन्तर्गत पुलिस आई.टी.आई .में 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये निम्न प्रावधान अनुसार आरक्षित किये गये हैं :–

.

   1. 30 प्रतिशत आरक्षण वर्टिकल एवं हॉरिजोण्टल श्रेणी में होगा ।
   2. किसी भी वर्टिकल श्रेणी या उसके अंतर्गत होरिजोण्टल वर्ग में महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस श्रेणी / वर्ग की पात्रता के पुरुष उम्मीदवार को प्रवेश दिया जायेगा, किन्तु महिलाओं के लिये आरक्षित स्थान अन्य श्रेणी / वर्ग में समायोजित नहीं किये जायेंगे।

वर्दी (यूनीफार्म) एवं ड्रेस कोड :–

1. लड़कों के लिए : डार्क ग्रे कलर का फुल पेन्ट तथा स्काय बल्यू शर्ट, ब्लैक लेदर शूज़ तथा स्कॉय ब्ल्यू मोजे।

2. लडकियों के लिए : ग्रे कलर की सलवार तथा स्काय ब्ल्यू कुर्त्ता ग्रे कलर का दुपट्टा, ब्लैक लेदर लेडीज शूज़ तथा स्काय ब्ल्यू मोजे।

नोट – प्रशिक्षणार्थियों को यूनीफार्म पुलिस कल्याण शाखा से रियायत दर पर प्राप्त हो सकेगी। प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को यूनीफार्म में छूट रहेगी। परन्तु चटक रंग के वस्त्र पहन कर आना वर्जित है।

परिचय / पहचान पत्र :–

1. परिचय पत्र के लिए प्रशिक्षणार्थियों को भर्ती दिनांक के एक माह के अन्दर संस्था की यूनीफार्म में फोटो खिंचवाकर प्रशिक्षण शाखा में जमा करना होगा। परिचय पत्र संस्था द्वारा प्रदाय किया जावेगा।
2. परिचय पत्र गुम होने पर दूसरा परिचय पत्र प्राप्त करने के लिए पुलिस थानें में एफआईआर दर्ज करवा कर फोटो कापी कार्यालय में जमा करनी होगी।
3. वैधता समाप्त होने के बाद परिचय–पत्र का दुरुप्रयोग करने पर कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

निष्कासन :–

1. बिना सूचना 10 दिन तक अनुपस्थित रहने पर अभिभावक को कार्यालय के माध्यम से तीन बार सूचना जारी की जावेगी तथा उपस्थित न होने पर संस्था से नाम खारिज कर जमा की गई समस्त राशि, राजसात कर ली जावेगी।
2. इसके अलावा अनुशासनहीनता करने पर संस्था से नाम खारिज कर जमा की गई समस्त राशि राजसात कर ली जावेगी।

अर्थदण्ड :–

संस्था परिसर में प्रशिक्षणार्थी को साफ–सफाई बनाये रखना होगा। कक्षा या कर्मशाला में पान,तम्बाकू,गुटका,सिगरेट सेवन करते पाये जाने पर अर्थ–दण्ड वसूल किया जावेगा।

शुल्क संरचना

प्रशिक्षण शुल्क :–

प्रशिक्षण शुल्क राशि रू. 2500/– प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिवर्ष है। एक–वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए राशि रुपये–2500/– (दो हजार पांच सौ रुपये) एवं दो वर्षीय पाठयक्रम के लिए राशि रूपये–5000/–(पांच हजार रुपये) है । आवेदकों को प्रशिक्षण शुल्क राशि रु. 2500/+ जमानत राशि रूपये–250/+ परीक्षा शुल्क रुपये–200/– प्रवेश के समय जमा कराना अनिवार्य है।

जमानत राशि :–

1. प्रवेश के समय रुपये–250/– जमानत के रूप में जमा कराये जाते हैं जो प्रशिक्षण पूर्ण करनें पर वापस की जावेगी। सामान की टूट–फूट होने पर जमा राशि से वसूली की जावेगी।

2. प्रशिक्षण बीच में छोड़ने पर या तीन वर्ष तक राशि वापस न लेने पर जमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

छात्रावास शुल्क :–

बाहर से प्रशिक्षण प्राप्त करने आये प्रशिक्षणार्थियों (पुरुष/महिला) हेतु संस्था परिसर में ही छात्रावास की सुविधा निःशुल्क है। परन्तु रख–रखाव हेतु न्यूनतम शुल्क राशि रुपये–600/–(छह सौ रुपये मात्र) प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य है।

परीक्षा शुल्क :–

1. परीक्षा शुल्क की राशि प्रति पेपर रु0–350/ (गैर तकनीकी व्यवसाय हेतु) तथा दो पेपर हेतु रु0–700/+रु0–100 प्रेक्टिकल (तकनीकी व्यवसाय हेतु) प्रशिक्षणार्थी द्वारा जमा की गई प्रशिक्षण शुल्क से संस्था द्वारा जमा की जायेगी। परन्तु सेमेस्टर में बैक लगनें पर प्रशिक्षणार्थी को स्वयं जमा करना होगी।

2. नियमित प्रशिक्षणार्थी प्रथम प्रयास (एक वर्षीय एवं दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये) रुपये–100/– प्रति सेमेस्टर नियमित प्रशिक्षणार्थी द्वितीय एवं उसके आगामी प्रयास के लिये (एक वर्षीय एवं दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये) रुपये–200/– प्रति सेमेस्टर।

3. भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षा फीस की राशि पे थ्रो पेटीएम/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग /नैफ्ट/आरटीजीएस के माध्यम से mpiticbtexam.in में जमा कराना होगी।

नोट – सत्र 2018–19 से सेमेस्टर सिस्टम बंद कर दिया गया है।

अन्य सुविधाएँ

बालक (ब्वॉयज़) एवं बालिका (गर्ल्स) छात्रावास सुविधाएं :

1. बाहर से प्रशिक्षण प्राप्त करने आये 30 छात्रों तथा 26 छात्राओं हेतु संस्था परिसर में ही सर्व–सुविधायुक्त अलग–अलग छात्रावास की सुविधा है।

2. अनुशासनहीनता करने पर छात्रावास से निकाले जाने पर या स्वेच्छा से छात्रावास छोड़ने पर पूर्व में ली गई राशि वापिस नहीं की जावेगी।

3. छात्रावास में रहने के लिए आरक्षण अनुसार सर्वप्रथम म0प्र0 पुलिस में कार्यरत / सेवानिवृत्त / स्वर्गीय पुलिसकर्मियों के पुत्र–पुत्रियों को स्थान दिया जावेगा।

ग्रंथालय (लाइब्रेरी) सुविधा :

प्रशिक्षणार्थियों हेतु संस्था में लाइब्रेरी सुविधा उपलब्ध है। प्रशिक्षणार्थी लाइब्रेरी समय में लाइब्रेरी प्रभारी से इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते है।

क्रीड़ा मैदान (प्ले ग्राउण्ड) सुविधा :

विविध खेलों के लिए प्रशिक्षणार्थियों हेतु संस्था परिसर में प्ले–ग्राउण्ड की सुविधा है। प्रशिक्षणार्थी गेम्स पीरियड के समय में खेल–कूद प्रभारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

जिम (व्यायाम शाला) सुविधा :

छात्रावास में निवासरत छात्रों (प्रशिक्षणार्थियों) के शारीरिक विकास हेतु एवं पुलिस की भर्ती में चयन के उद्‌देश्य से स्माल जिम की व्यवस्था है।

पुलिस चिकित्सालय (हॉस्पिटल) सुविधा :

अस्वस्थ होने पर प्रशिक्षणार्थी तथा छात्रावास में निवासरत छात्र / छात्रा संस्था के समीप स्थित पुलिस हॉस्पिटल में पर्चा बनवाकर अपना इलाज करवा सकते है।

भोजन (मेस) / टिफिन सुविधा :

भोजन हेतु छात्रावास में किचन है जिसमें छात्र खाना बना सकते हैं या फिर मेस कटिंग जमा कर बटालियनों के मेस से जैसे 7वीं वाहनी, विशेष सशस्त्र बल भोपाल की मेस से टिफिन प्राप्त कर सकते हैं। बाहर से आये छात्र / छात्रा अपनी जरूरत का सामान पुलिस सीपीसी केन्टीन से उचित दर में प्राप्त कर सकते हैं।

सीजन टिकिट सुविधा :

1. बाहर से प्रतिदिन अप—डाउन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को रेल्वे विभाग द्वारा रियायती सीजन टिकिट प्रदाय किए जाते है।
2. तीन माह बाद रिन्यूवल कराना आवश्यक होता है। प्रशिक्षणार्थी को सीजन टिकिट हेतु संस्था की प्रशिक्षण शाखा में आवेदन देना होता है, जिसमें पूरा नाम, व्यवसाय का नाम व अवधि, जन्मतिथि, यात्रा प्रारंभ करने का स्टेशन इत्यादि विवरण देना अनिवार्य है। रिन्यूवल/अवधि बढ़ाने के लिए जारी किये गये पिछले प्रमाणपत्र का नबर अवधि दिनांक उल्लेख कर आवेदन के साथ पिछले सीजन टिकिट की सत्यप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिदिन ट्रेन से अप—डाउन करते समय संस्था यूनीफार्म में परिचय पत्र के साथ होना अनिवार्य है।
4. सीजन टिकिट के गुम हो जाने पर प्रशिक्षणार्थी को उल्लेखित अवधि का पूरा टैरिफ किराया देकर नया सीजन टिकट खरीदना होगा।

प्रशिक्षणार्थियों को शिष्यवृत्ति (स्टायपण्ड) :

1. पुलिसकर्मी के अविवाहित पुत्र/पुत्रियों को रू 600/ प्रति माह की दर से शिक्षानिधि से शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनकी शिक्षानिधि का कटौत्रा किया जाता हो, चाहे वह किसी भी जाति/वर्ग का हो।
2. पुलिसकर्मी की दो सन्तान के एक साथ प्रवेश लेने पर बड़े पुत्र/पुत्री को छात्रवृत्ति का पात्र माना जाएगा।
3. पुलिसकर्मी पर आश्रित विवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को तथा नये नियमानुसार छात्रवृति देने का प्रावधान किया गया है ।

प्रशिक्षणार्थियों को अवकाश पात्रता :—

मप्र शासन के समस्त शासकीय अवकाश, स्थानीय अवकाश द्वितीय व तृतीय शनिवार की पात्रता होगी इसके अलावा कौशल विकास विभाग के नियमानुसार सेमेस्टर के अंत में या ग्रीष्मकालीन/शीत कालीन अवकाश देने का प्रावधान नहीं है।

1. एक वर्ष में 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। आकस्मिक अवकाश अन्य किसी अवकाश के साथ नहीं जोडा जा सकेगा ।
2. रजिस्टर्ड मेडीकल प्रेक्ट्रीशनर/असिस्टेन्ट सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर 15 दिवस अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। गंभीर बीमारी की दशा में एक वर्षीय कोर्स में तीन सप्ताह तथा दो—वर्षीय कोर्स में छः सप्ताह अधिकतम अवकाश डाक्टरी प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा।
3. प्रशिक्षणार्थी बीमारी के कारण दो माह तक गैर हाजिर रहता है, तो उसे संस्था से निष्कासित कर दिया जावेगा। जिसका पुनः प्रवेश विशेष परिस्थितियों में अ0म0नि0 (कल्याण/लेखा) के आदेश पर किया जा सकेगा।
4. 10 दिवस के विशेष अवकाश की पात्रता होगी । विशेष परिस्थितियों में एक वर्षीय पाठ्यक्रम में 15 दिवस तक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम में 30 दिवस तक बढ़ाया जा सकेगा। विशेष अवकाश अवधि में प्रशिक्षणार्थियो को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी, यदि वह छात्रवृत्ति प्राप्त करता है ।

विषय सूची

क्र0	विषय/पीरियड	रिमार्क
1	व्यवसाय थ्योरी	सभी व्यवसायो के लिए
2	व्यवसाय प्रेक्टिकल	सभी व्यवसायो के लिए
3	एम्प्लायबिलिटी स्किल	सभी व्यवसायो के लिए
4	इंजीनियरिंग ड्राइंग	केवल तकनीकी व्यवसायो के लिए
5	वर्कशाप केल्कुलेशन एण्ड साइंस	केवल तकनीकी व्यवसायो के लिए
6	एलाइड	केवल तकनीकी व्यवसायो के लिए
7	भाषा हिन्दी	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेट्रियल असिस्टेन्ट (हिन्दी) के लिए
8	हिन्दी डिक्टेशन	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेट्रियल असिस्टेन्ट (हिन्दी) के लिए
9	ट्रांस्कृप्शन	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेट्रियल असिस्टेन्ट (हिन्दी) के लिए

प्रशिक्षक/कार्य सम्पादन अधिकारी

क्र0	विषय/पीरियड	प्रशिक्षक/कार्य सम्पादन अधिकारी
1	व्यवसाय थ्योरी	व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी/उप निरीक्षक (तकनीकी) द्वारा
2	व्यवसाय प्रेक्टिकल	व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी/उप निरीक्षक (तकनीकी) तथा कार्यशाला सहायक/प्रधान आरक्षक (अ) द्वारा
3	इंजीनियरिंग ड्राइंग	प्रशिक्षण अधिकारी (इंजीनियरिंग ड्राइंग)/उप निरीक्षक (तकनीकी) द्वारा
4	वर्कशाप केल्कुलेशन एण्ड साइंस	प्रशिक्षण अधिकारी (वर्कशाप केल्कुलेशन एण्ड साइंस)/ उप निरीक्षक (तकनीकी) द्वारा
5	एलाइड	प्रशिक्षण अधिकारी (एलाइड)/उप निरीक्षक (तकनीकी) द्वारा
6	एम्प्लायबिलिटी स्किल	प्रशिक्षण अधिकारी (एम्प्लायबिलिटी स्किल) /उप निरीक्षक (तकनीकी) द्वारा
7	भाषा हिन्दी	प्रशिक्षण अधिकारी (भाषा हिन्दी)/उ.नि.(तकनीकी) द्वारा
8	हिन्दी डिक्टेशन	व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेट्रियल असिस्टेन्ट (हिन्दी) /सूबेदार (तकनीकी) द्वारा
9	ट्रांस्कृप्शन	उपरोक्तानुसार
10	श्रम दान/ फिजिकल ट्रेनिंग	छात्रावास अधीक्षक/पीटीआई/सहायक उप निरीक्षक (तकनीकी) द्वारा

अनुलग्नक (Appendix) - I

नमूना (ऑन लाइन फार्म)

I.T.I. Online Counselling 2018 Registration Receipt

आवेदन क्रमांक..

व्यक्तिगत जानकारी...

आधार कार्ड नम्बर ....समग्र आईडी ....

आवेदक का नाम (हिन्दी में) ....(अंग्रेजी में) ....

(दसवीं की अंक सूची के अनुसार)

पिता / पति / पालक का नाम (हिन्दी में) .... (अंग्रेजी में) ....

माता का नाम (हिन्दी मे) ....अंग्रेजी में) ....

जन्म तिथि (DD/MM/YYYY)--------------------------------लिंग (पुरुष / महिला)...................................

श्रेणी (Gen./OBC/SC/ST) ....धर्म ....

विशेष श्रेणी ....मूल निवासी जिले का नाम ....

क्या आप स्कीम के तहत प्रवेश के इच्छुक है? ....

क्या आप पुलिस आई.टी.आई. में प्रवेश हेतु इच्छुक है ?

क्या आप गैर सरकारी (प्रायवेट) आई.टी.आई. में प्रवेश चाहते है ? ....

परिवार की वार्षिक आय (रुपये में) ....

परिवार के स्वामित्व का भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में) ....

पंजीकृत असंगठित कर्मकार के पुत्र–पुत्री की स्थिति में माता / पिता

का असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक ....

क्या आप छात्रावास में रहना चाहेंगे ....

शैक्षणिक विवरण :–

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	विषय	बोर्ड / संस्थान / वि.विद्यालय का नाम	अंक प्रणाली	पूर्णांक	प्राप्तांक	ग्रेड	उत्तीर्ण वर्ष	प्रतिशत	प्रमाण पत्र मे अंकित रोल नं
1	दसवीं									
2	बारहवीं									

वर्तमान पते की जानकारी :– ....

मकान नं. ....गली...

क्षेत्र .... राज्य ....

जिला ....तहसील ....

विकासखंड / ब्लॉक ....ग्राम पंचायत ....

विधानसभा क्षेत्र का नाम .... पिन कोड ....

स्वयं का मोबाइल नं. ....अन्य मोबाइल नं..

ई मेल : ....

स्थाई पते की जानकारी :–

मकान नं. ....गली ....

क्षेत्र ....राज्य ....

जिला ....तहसील ....

विकासखंड / ब्लॉक ....ग्राम पंचायत ....

विधानसभा क्षेत्र का नाम .... पिन कोड ....

ट्रांज़ैक्शन दिनांक : .... प्रिन्ट दिनांक.........................

ट्रांज़ैक्शन आई डी : जमा की गई राशि (कर सेवा सहित) ....

जीएसटी नम्बर :

कियोस्क की जानकारी :

अनुलग्नक (Appendix) - II

पुलिस आई0टी0आई0 ....
प्रवेश स्लिप

1. आवेदक का नाम...

2. पिता का नाम...

3. व्यवसाय (ट्रेड) का नाम ....

4. प्रवेश की तिथि..

5. पूर्ण वर्तमान पता...

....पिनकोड :

मोबाईल नम्बर +91..

व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी श्री ....को सूचित किया जाता है कि
आवेदक को दिनांक / / से कक्षा में भर्ती किया गया है। अतः दिनांक / /20 से कक्षा में नियमित उपस्थिति लेवें ।

प्रवेश अधिकारी
पुलिस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
..............................म0प्र0

व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी के उपयोग हेतु

श्री/कुमारी...पिता श्री ....
व्यवसाय ....में दिनांक / /20 को हाजिरी रजिस्टर के पेज कमांक...........
के सरल कमांक.............................. में प्रवेश दे दिया गया ।

स0उ0नि0(अ)
प्रशिक्षण शाखा

व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक (Appendix) - III

पुलिस आई.टी.आई..........

—:: शपथ—पत्र ::—

मैं (नाम)..

पिता / पालक का नाम श्री ... . व्यवसाय (ट्रेड).......................................

1. शपथपूर्वक घोषणा करता / करती हूॅ कि मैं संस्था में निर्धारित समय 9.30 से 5.00 बजे तक प्रशिक्षणरत रहूॅगा / रहूॅगी तथा समय पर संस्था में होऊॅगा / होउॅगी ।
2. मै प्रतिदिन क्लास के सभी पीरियड अटेंड कर प्रतिमाह हॉजरी प्रतिशत 80% से कम उपस्थिति नहीं होने दॅूगा / दॅूगीं, यदि हॉजिरी प्रतिशत कम होने पर मेरा नाम खारिज या परीक्षा में बैठनें से वंचित किये जाने की कार्यवाही की जाती है तो मुझे स्वीकार होगी।
3. मैं अपनी समस्याओं के लिये लिखित रूप से अपने प्रशिक्षण अधिकारी के माध्यम से संस्था प्रमुख (अधीक्षक) को प्रेषित करूँगा / करूँगी । लिखित अनुमति प्राप्त होने पर ही उच्च अधिकारियों से सम्पर्क करूँगा / करूँगी । मैं किसी प्रकार की हड़ताल में भाग नहीं लूँगा / लूँगी।
4. मेरे प्रवेश को लेकर यदि प्रमाण—पत्रों या अंकसूची में कोई जालसाजी या हेरफेर का मामला सामने आता है, और प्रवेश चयन कमेटी द्वारा प्रवेश निरस्त किया जाता है तो मुझे स्वीकार होगा।
5. प्रवेश लेने के बाद बिना सूचना दिये 10 दिन या इससे अधिक अनुपस्थित रहता हूँ / रहती हूँ और मेरा प्रवेश निरस्त कर मेरिट सूची के आधार पर दूसरे उम्मीदवार को मेरे स्थान पर ले लिया जाता है तथा जमा की गई फीस राजसात कर ली जाती है तो मुझे स्वीकार होगा।
6. प्रवेश लेनें के बाद यदि मै 15 दिन के अन्दर अपनी मूल टीसी0 / गैप सर्टिफिकेट / जाति प्रमाण पत्र / मूल निवासी प्रमाण पत्र जमा नहीं करता हूं और प्रमाणपत्र के अभाव में यदि मेरा प्रवेश निरस्त कर मेरिट सूची के आधार पर दूसरे उम्मीदवार को मेरे स्थान पर ले लिया जाता है तथा जमा की गई फीस राजसात कर ली जाती है तो मुझे स्वीकार होगा।

मैं उपरोक्त नियमों का शपथ पूर्वक पालन करूँगा / करूँगी। नियमों का पालन न करने की स्थिति में मुझे संस्था से निष्कासित करने का अधिकार संस्था प्रमुख को होगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर दिनांक सहित

मोबाइल नं0 +91

नाम—..

व्यवसाय—..

अनुलग्नक (Appendix) - IV

पुलिस आई0टी0आई0 ....

छात्रावास हेतु आवेदन पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का पूरा नाम – श्री / श्रीमती / कु0 ....

2. पिता / पालक का नाम – श्री / श्रीमती / कु0 ....

3. व्यवसाय (ट्रेड) का नाम – ....

4. पत्र–व्यवहार का पता – ....

5. ग्राम एवं जिले का नाम – ....

6. भोपाल से ग्राम की दूरी (कि.मी. में) ....

7. स्थाई पता पिन कोड मोबाइल नं0 व जी मेल –..

8. रक्त समूह (ब्लड ग्रुप)– ....

9. वर्ग तथा उप–वर्ग ....

शपथ पत्र

मेरा चयन व्यवसाय .... में हुआ है । मैं छात्रावास में प्रवेश चाहता हूं। मैं छात्रावास के सभी नियमों का पालन करूँगा। मेरे द्वारा उद्दण्डता करने अथवा शासकीय सामान को क्षति पहुंचाए जाने पर मुझे छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाए।

मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

रसीद नं0 व दिनांक

नाम –

दिनांक

व्यवसाय

प्रशिक्षणार्थी के आवेदन पत्र के आधार पर नियमानुसार छात्रावास की फीस जमा करने के पश्चात् प्रशिक्षणार्थी को छात्रावास के कक्ष क्रमांक.................में प्रवेश दिया जाता है।

छात्रावास अधीक्षक

पुलिस आईटीआई........................ ।

अनुलग्नक (Appendix) - V

पुलिस आई.टी.आई...........

NO DUES CERTIFICATE

नो ड्यूज सर्टिफ़िकेट

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम ————————————————————————————

2. व्यवसाय (ट्रेड) –

3. प्रशिक्षण सत्र :

उपरोक्त नामांकित प्रशिक्षणार्थी पर कोई राशि / सामान शेष नही है।

4. व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी ——————————————

5. ड्राइंग / गणित लाइब्रेरी प्रशिक्षण अधिकारी

(1) ——————————— (2) ————————— (3) ————————————

6. छात्रावास अधीक्षक ————————————————————————

7. प्रशिक्षण अधिकारी तथा छात्रावास अधीक्षक सामान गुम / टूट–फूट की भरपाई प्रशिक्षणार्थी से करवाएं तथा रिपोर्ट की एक प्रति कार्यालय मे जमा करें।

8. कॉशनमनी की रसीद न होने पर रसीद नं0 प्रशिक्षण शाखा से प्राप्त कर आवेदन पत्र में लिखें तभी कॉशनमनी दी जावेगी।

9. लेखापाल कॉशनमनी देने के बाद हस्ताक्षर करें तत्पश्चात् प्रशिक्षण शाखा प्रभारी, टी.सी. जारी कर नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र प्रशिक्षणार्थी की पर्सनल फाइल में नस्ती करें।

10. लेखापाल ——————————————
(काशनमनी देने के पश्चात)

प्रशिक्षण लिपिक ——————————
(टी.सी. जारी करने के पश्चात)

अधीक्षक
पुलिस आई.टी.आई. ....।

अनुलग्नक (Appendix) - VI

(01)

पुलिस आई0टी0आई0 में प्रवेश हेतु प्रमाण–पत्र

(यह प्रमाण–पत्र पुलिसकर्मी अपने कार्यालय से भरवाकर प्रस्तुत करें)

प्रमाणित किया जाता है कि (पुत्र/पुत्री) का नाम ———————————

पिता/माता का नाम(जो पुलिस में कार्यरत हों)————————————————

पद एवं तैनाती स्थान/कार्यालय ——————————————————————

रिटायरमेन्ट/भर्ती दिनांक ————————————————————————

यह प्रमाण–पत्र इन्हें पुलिस आई0टी0आई0....................में प्रवेश लेने तथा छात्रवृत्ति प्रदाय हेतु जारी किया गया है।

इकाई प्रमुख के हस्ताक्षर व सील

———————————————————————————————————

(02)

पुलिस आई0टी0आई0 में प्रवेश हेतु प्रमाण–पत्र

(यह प्रमाण–पत्र केवल पालक पुलिसकर्मी अपने कार्यालय से भरवाकर प्रस्तुत करें)

प्रमाणित किया जाता है कि

आवेदक/आवेदिका का नाम – . ———————————————————————

पालक का नाम(जो पुलिस में कार्यरत हो)——————————————————

पद व तैनाती स्थान/कार्यालय का नाम ————————————————

पुलिस कर्मचारी से रिश्ता———————————————————————————

यह प्रमाण–पत्र इन्हें पुलिस आई0टी0आई0.................. में पालक कोटा में प्रवेश हेतु दिया जा रहा है।

इकाई प्रमुख के हस्ताक्षर व सील

अनुलग्नक (Appendix) - VII

टी.सी. जमा करने के लिए 07 दिवस का समय दिए जाने हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

अधीक्षक महोदय
पुलिस औधोगिक प्रशिक्षण संस्था
....म.प्र.।

विषयः– टी.सी. जमा करने हेतु 07 दिवस का समय देने बाबत।

–––000–––

सविनय निवेदन है कि मेरा चयन पुलिस आईटीआई ....में व्यवसाय (ट्रेड)........................ के लिए किया गया है। मेरे द्वारा समस्त दस्तावेजों/अभिलेखों का सत्यापन करा दिया गया है। परन्तु समय का अभाव एवं शासकीय अवकाश होने के कारण स्कूल/कॉलेज/संस्था से टी0सी0 निकालने में असमर्थ रहा। मुझे विदित है कि नियत तिथि में टी.सी जमा न करने पर मेरा प्रवेश निरस्त कर प्रतीक्षारत् सूची से दूसरे उम्मीदवार को प्रवेश दे दिया जावेगा।

अतः सविनय निवेदन है कि टी.सी. जमा करने हेतु 07 दिवस का समय देने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा।

धन्यवाद,

दिनांक :–

प्रार्थी के हस्ताक्षर

नाम ––––––––––––––––––

व्यवसाय (ट्रेड)––––––––––

प्रवेश अधिकारी की टीप
(यदि आवश्यक हो)

प्रमाण–पत्र
(छात्रावास में निवासरत छात्र)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रशिक्षणार्थी श्री/श्रीमती/कुमारी...
माता/पिता/पति/पालक का नाम....................................... व्यवसाय (ट्रेड)..
पुलिस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भोपाल / इन्दौर के छात्रावास में निवास करता था।
वर्ष 20 – 20 में इनका व्यवहार छात्रों के प्रति अच्छा रहा है। इनको दोबारा व्यवसाय (ट्रेड)–––––––––– में प्रवेश देने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक :..............

छात्रावास अधीक्षक
पुलिस आई,टीआई ....।

अनुलग्नक (Appendix) - VIII

प्रवेश के समय प्रस्तुत किये जाने वाला घोषणा पत्र

मैं .... पिता श्री ....

व्यवसाय (ट्रेड).. सत्र– अगस्त 20

संस्था .... में प्रवेश लेना चाहता / चाहती हूं।

शपथ प्त्र

मैं यह शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि प्रशिक्षण के दौरान यदि मुझे किसी भी प्रकार की शारीरिक चोट / हानि पहुॅचती है, तो वह मेरी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

मैं संस्था / विभाग के ऊपर किसी भी प्रकार की होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु अपना दावा प्रस्तुत नहीं करूँगा / करूँगी।

आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक –
स्थान –

पिता / पालक के हस्ताक्षर
दिनांक
स्थान –

महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर

इमरजेन्सी – पुलिस : 100 फायर ब्रिगेड : 101 एम्बुलेन्स : 102 महिला हैल्प लाइन : 108

क्रमांक	नाम	टेलीफोन नम्बर
1	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कल्याण/लेखा)	(0755) 2443503
2	निदेशक, पुलिस दूरसंचार इंदौर	(0731) 2419410 , 7049100673
3	सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण)	(0755) 2443391
4	उप पुलिस अधीक्षक (कल्याण)	(0755) 2501113
5	अधीक्षक, पुलिस आईटीआई, भोपाल	0755–2443517
6	अधीक्षक, पुलिस आईटीआई, इन्दौर	(0731) 2419410 9907486800
7	पुलिस कल्याण चिकित्सालय, भोपाल	(0755) 2443650 – 450
8	पुलिस कल्याण केन्द्र, भोपाल	(0755) 2501527
9	पुलिस फायर सर्विस, भोपाल	(0755) 2441008, 2443662
10	पुलिस थाना जहांगीराबाद, भोपाल	(0755) 2443760
11	पुलिस कन्ट्रोल रूम जहांगीराबाद, भोपाल	(0755) 2555922, 2555933
12	पुलिस पैट्रोल पम्प जहांगीराबाद, भोपाल	(0755) 2441328
13	पुलिस प्रेस जहांगीराबाद, भोपाल	(0755) 2501599
14	पुलिस सीपीसी केन्टीन जहांगीराबाद, भोपाल	(0755) 2441327
15	संचालक, कौशल विकास विभाग	(0755) 2581138
16	उप संचालक,कौशल विकास विभाग	(0755) 2985886
17	क्षेत्रीय संचालक,कौशल विकास विभाग	(0755) 2600163
18	प्राचार्य, आदर्श आईटीआई, गोविंदपुरा, भोपाल	(0755) 2582700
19	प्राचार्य, गैस राहत आईटीआई, गोविंदपुरा, भोपाल	(0755) 2581138
20	प्राचार्य, महिला आईटीआई, गोविंदपुरा, भोपाल	(0755) 2586192
21	एमपी ऑनलाइन	0755 4019400
22	अग्निशामक नगर निगम, भोपाल	(0755) 2542222
23	सांप पकड़ने वाले नगर निगम, भोपाल	9827060084
24	विद्युत विभाग, जहांगीराबाद, भोपाल	(0755) 2678307
25	नगर निगम कार्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल	(0755) 27010001 12 13 14
26	रेल्वे पूछताछ, भोपाल	139
27	बीएसएनएल (टेलीफोन), पूछताछ, भोपाल	1500, 1694
28	भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड	(0755) 2980097
29	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, विंध्याचल भवन, भोपाल	(0755) 4288965
30	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जहांगीराबाद, भोपाल	(0755) 2559861
31	भोपाल को–आपरेटिव सेन्ट्रल बैंक जहांगीराबाद, भोपाल।	(0755) 2764747
32	शासकीय जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल	(0755) 2557143 2556812

राष्ट्र–गीत

सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्नाम् पुलकित यामिनीम्।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्।।
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्।।
कोटि–कोटि कण्ठ कल–कल–निदानकराले
कोटि–कोटि भुजैर्धृत–खर–करवाले।
के बोले मा तुमि अबले।
बहुबलधारिर्णी नमामि तारिर्णी
रिपुदलवारिर्णी मातरम्।
वन्दे मातरम्।।
तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म
त्वं हि प्राणाः शरीरे
बहु ते तुमि मां शक्ति
हृदये तुमि मां भक्ति
तोमारे प्रतिमा गड़ि मन्दिरे मन्दिरे।
वन्दे मातरम्।।
त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
कमला कमलदल विहारिणी
वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम्
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्
सुजलाम् सुफलाम् मातरम्
श्यामलाम् सरलाम् सुस्मितम् भूषिताम्
धरणीम् भरणीम् मातरम्
वन्दे मातरम्।।

–श्री बकिंमचंद्र चट्टोपाध्याय

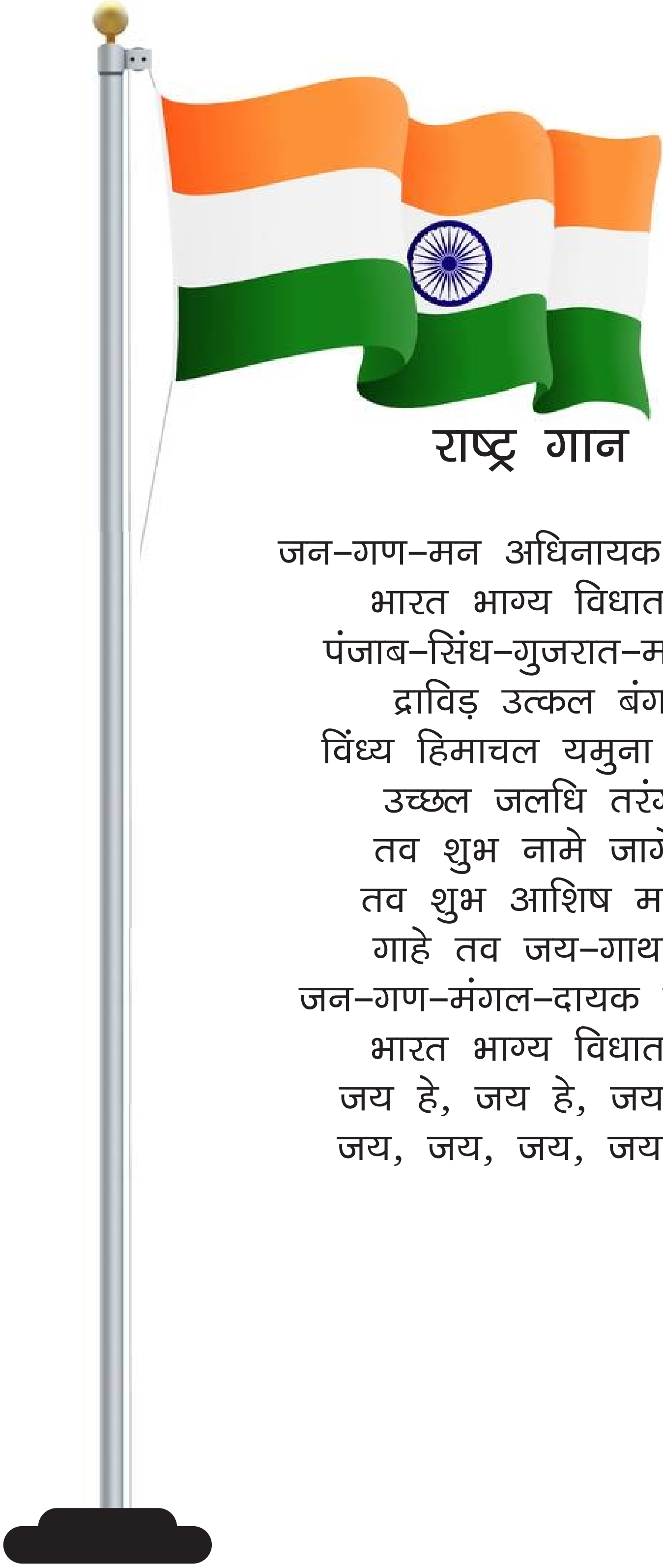

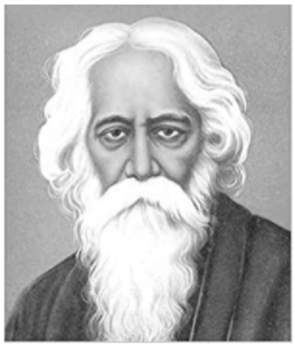

राष्ट्र गान

जन–गण–मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब–सिंध–गुजरात–मराठा,
द्राविड़ उत्कल बंग
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंग
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय–गाथा।
जन–गण–मंगल–दायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय, जय, जय, जय हे।

–श्री रबिन्द्रनाथ टैगोर

लेखन एवं संकलन–लोकेश कुमार सिंह राठौर, प्रशिक्षण अधीक्षक, पुलिस आई.टी.आई. भोपाल।
ग्राफिक्स एवं प्रिन्टिग–पुलिस प्रेस, पुलिस मुख्यालय भोपाल।